

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर शाहबाद जिला बारां (राज.)

प्रकरण संख्या:- 19/24

दायरा दिनांक 12.06.2024

पीठासीन अधिकारी :- श्री जबर सिंह (आर.ए.एस.)

उनवान

अशोक पुत्र नाथूलाल जाति किराड निवासी राजपुर तहसील शाहबाद जिला बारां (राज.)

- अपीलान्त

वनाम

राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार शाहबाद जिला बारां (राजस्थान)

- रेस्पोंडेण्ट

अपील अंतर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट.

निर्णय

दिनांक :- 25.10.2024

अपीलान्त द्वारा यह अपील अंतर्गत धारा 75 एल.आर.एक्ट के तहत तहसीलदार शाहबाद के प्रकरण संख्या 802/2023 निर्णय दिनांक 20.03.2023 के विरुद्ध पेश की है जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्त को ग्राम राजपुर की आराजी खसरा नम्बर 597 रकवा 6.00 बीघा किस्म चारागाह पर अतिक्रमी मानकर 75/- रुपये जुर्माना, फसल नीलामी एवं वेदखली के आदेश दिए गए हैं। साथ ही अपीलान्त को पश्चातवर्ती अतिचारी मानकर एक माह की सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। अपीलान्त का कथन है कि उक्त निर्णय अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्त को बिना कोई सूचना दिये तथा अपीलान्त को पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने बावत् कोई स्वतन्त्र साक्ष्य नहीं ली गई है न ही मौके पर जाकर मौका देखा गया है। जो न्याय के स्वीकृत सिद्धान्तों के विपरीत है।

उक्त प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेण्ट को तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली की तलबी की गई।

वकील अपीलान्त ने अपनी वहस में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराने के साथ साथ अपनी वहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के पास अपीलान्त को द्वितीय अतिचारी माना जाने योग्य कोई ठोस आधार नहीं है। पश्चातवर्ती अतिचारी सिद्ध करने हेतु विवादग्रस्त आराजी से वेदखली के आदेश एवं वेदखलनामा की प्रति संलग्न करना जरूरी है। अपीलान्त के वकील का यह भी तर्क है कि बिना कोई सूचना दिये निर्णय पारित किया गया है। मात्र पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्त को पश्चातवर्ती अतिचारी मानते हुए सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है। अतः सिविल कारावास की सजा निरस्त करने योग्य है।

हमने अपीलान्त के विद्वान वकील के तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया जिसमें अतिक्रमी को पश्चातवर्ती अतिचारी सिद्ध करने बावत् पर्याप्त सबूत मौजूद हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय करने में कोई भूल नहीं की है।

अतः अपील अपीलान्त सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तदनुसार कार्यवाही हेतु वापिस भेजी जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावे तथा बाद तकमील दाखिल दपतर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
शाहबाद (बारां)